भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या †4332**
दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ

**पंचायती राज संस्था**

†4332. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय की एकीकृत एवं सहभागी ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अभिसरण में सुधार हेतु किस प्रकार की योजना है तथा यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने, कौशल विकास और आजीविका सृजन सहित स्थानीय आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिका को मजबूत करने हेतु नीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए राज्य चुनाव आयोगों के साथ किस प्रकार समन्वय करता है, जिसमें समय पर चुनाव कराना और शिकायत निवारण शामिल है?

**उत्तर**

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस.पी.सिंह बघेल)

**(**क) और (ख) **"**पंचायत**", "**स्थानीय सरकार**"** होने के नाते**,** एक राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है**,** जो संविधान के प्रावधानों के अधीन**,** राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद **243G** किसी राज्य के विधानमंडल को कानून द्वारा**,** उचित स्तर पर पंचायतों को शक्ति और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करने की शक्ति देता है**,** ऐसी शर्तों के अधीन**,** जैसा कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है**,** जिसमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल मामलों से संबंधित शर्तें भी शामिल हैं। राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को शक्ति और उत्तरदायित्व सौंपने के लिए ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित **29** विषयों पर विचार करना है। तदनुसार**,** स्थानीय आर्थिक विकास में पंचायतों की भूमिका को सुदृढ़ बनाने की नीतियों सहित पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पीआरआई के पदाधिकारियों के साथ-साथ समुदाय-आधारित संगठनों (सीबीओ) को सभी स्तरों पर भागीदारीपूर्ण और समावेशी पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी और केंद्रीय तथा राज्य वित्त आयोग अनुदान**,** केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राजस्व के अपने स्रोतों के तहत उपलब्ध वित्तीय और गैर-वित्तीय संसाधनों को सम्मिलित करके उनके कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण देने हेतु संयुक्त प्रयास किए हैं। एमओपीआर**,** विशेष रूप से**,** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को

उनके नियंत्रणाधीन और विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के लिए पीआरआई को सौंपे गए **29** विषयों पर केंद्रित विषय-आधारित पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी के लिए पीआरआई और उनके पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए लगातार सहायता कर रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आदि जैसी योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए सक्रिय और प्रभावी अभिसरण तंत्र के साथ कार्यान्वित की जाती हैं, जहां पीआरआई विशेष रूप से लाभार्थियों की पहचान, जागरूकता सृजन, भागीदारी योजना तैयार करने और ग्राम सभाओं के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने, कार्यान्वयन और निगरानी आदि के लिए उत्तरदायी हैं।

**(**ग) पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज विभागों को पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए परामर्श भेजता है। यह मंत्रालय पंचायत चुनावों के संचालन से संबंधित मामलों में राज्य चुनाव आयोगों के साथ समन्वय नहीं करता है।

***